झारखण्ड सरकार

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, लातेहार।

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

(अति अल्प कालीन निविदा)

लातेहार जिला अन्तर्गत वस्त्र वितरण कार्यक्रम के तहत सहायक अनुदान ईकाई अधीन गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों तथा गरीब, असहाय, अपंग, भिक्षुक, असहाय विधवाओं के बीच मुफ्त कम्बल वितरण हेतु जिला स्तर पर सामाजिक सुरक्षा के अधीन वर्ष 2016–17 में कम्बल क्रय किया जाना है। इस निमित कम्बल आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदा अधिकृत निबंधित प्रतिष्ठानों से आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक–25.02.2017 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, लातेहार में प्राप्त किया जायेगा। निविदा उसी दिन दिनांक 25.02.2017 को 03:00 बजे अपराह्न में उप विकास आयुक्त, लातेहार के कार्यालय वेश्म में जिला क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष निविदा खोली जायेगी। जिसमें सर्वप्रथम तकनिकी बीड को खोला जायेगा, तकनिकी बीड में योग्य पाये गये निविदादाताओं का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा। निविदा खोलते समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निविदा के विस्तृत नियम एवं शर्त के लिए लातेहार जिला के वेबसाईट **Latehar.nic.in** में लॉगइन कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र कार्यालय से कार्यालय अवधि में दिनांक 23.02.2017 तक 1000.00 (एक हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, लातेहार के पदनाम से जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।

निविदा नियम एवं शर्त्तः–

(क) तकनिकी बीड :–

(1) निविदा के साथ वाणिज्य कर निबंधन, पैन सं0, आयकर रिटर्न विगत तीन वर्षो का, गत तीन वर्षो का अंकेक्षण(Audit) C.A द्वारा निर्गत प्रतिवेदन, सर्विस टैक्स का निबंधन प्रमाण पत्र एवं स्वच्छता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) तकनिकी बीड में प्रतिभूति राशि रु0 2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, लातेहार के पदनाम से जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, लातेहार के नाम से देय होगा।

(3) वैसे प्रतिष्ठान के निविदादाता जिनका नाम किसी अन्य जिला/विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज कर दिया गया है, अगर वही व्यक्ति किन्हीं अन्य व्यक्ति के नाम से नया प्रतिष्ठान बना कर निविदा देंगे, तो उनके विरूद्ध सुसंगत धारा के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। निविदादाता को नोटरी द्वारा शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि पूर्व में सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में उनका फर्म/प्रतिष्ठान काली सूची में दर्ज नहीं है।

(4) निविदादाता अथवा प्रतिष्ठान को सरकारी संस्थान में कम्बल आपूर्ति का पिछले दो वर्षो का कार्यानुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) निविदादाता/प्रतिष्ठान को झारखण्ड राज्य के किसी भी जिले से निबंधित होना आवश्यक है।

(6) निविदादाता/प्रतिष्ठान के प्रोपराईटर को पुलिस अधीक्षक के स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा निविदा खुलने के दिन चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति मिलान हेतु लाना अनिवार्य होगा।

(ख) वित्तीय बीड :–

(1) कम्बल ऊनी होना चाहिए।

(2) वित्तीय बीड में कम्बल का नमूना का विवरण समर्पित करना होगा, जिसमें न्यूनतम आकार ल0Xचौ0 90"X60" वजन कम से कम 2.000 किलोग्राम होगा। निविदा **प्रपत्र "क"** में अंकित करना अनिवार्य होगा।

(ग) अन्य शर्त्त :–

1. पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा का तकनिकी भाग तथा वित्तीय भाग अलग–अलग सील बंद लिफाफे (जिसमें तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग का उल्लेख हो) में अलग–अलग समर्पित करेंगे। दोनों बीड में निविदादाता का पूर्ण पता तथा दूरभाष संख्या लिफाफे पर अंकित रहना अनिवार्य होगा। न्यूनतम जमा राशि 2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार) का बैंक ड्राफ्ट तकनीकी बीड के लिफाफे में ही रहेगा।
2. तकनीकी बीड में सफल निविदादाता का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।
3. निविदा का निष्पादन मूलतः गुणवता एवं दर के आधार पर किया जायेगा।
4. एक निविदादाता/प्रतिष्ठान को एक ही प्रकार का कम्बल का विवरणी एवं उसका 11 (ग्यारह) नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नमूना निविदा जमा करने के साथ ही देना अनिवार्य होगा। समर्पित किया जाने वाला नमूना कम्बल में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, रांची के नाम का लोगो (LOGO) के साथ कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
5. आपूर्ति किये जाने वाले कम्बल निविदा में प्रस्तुत किये गये नमूना के अनुरुप होना अनिवार्य होगा।
6. निविदा में अंकित दर के अतिरिक्त कोई हथालन या परिवहन व्यय अलग से देय नहीं होगा।
7. निविदा में सफल निविदादाता को निर्धारित दर पर आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 10 (दस) दिनों के अन्दर कम्बलों की आपूर्ति निर्धारित संख्या में लातेहार जिला के सभी आवंटित प्रखण्डों में करना होगा। इसके लिए आपूर्तिकर्त्ता को किसी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं कम्बल आपूर्ति उपरांत प्राप्ति रसीद सामाजिक सुरक्षा कोषांग में जमा करना होगा। निर्धारित समय सीमा के अन्दर आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्ति आदेश रद्द कर दी जायेगी एवं निविदादाता को काली सूची में डाल दिया जायेगा। साथ ही L-2 दर वाले निविदादाता को आपूर्ति आदेश दिया जायेगा।
8. एक अथवा एक से अधिक निविदादाता के बीच कार्यादेश देने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
9. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिला क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
10. आपूर्ति किये जाने वाले प्रत्येक कम्बल में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, रांची के नाम का लोगो (LOGO) लगाकर आपूर्ति किया जायेगा।

08/2/17

उपायुक्त, लातेहार।